THE UNITED PROVINCES EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1948 (U. P. Act No. XIII of 1948)

ARRANGEMENT OF SECTIONS

--

Sections:

- 1- Short title and commencement
- 2- Continuance inforce of Acts mentioned in the schedule -Schedule

THE UNITED PROVINCES EXPIRING LAWS CONTINUANCE ACT, 1948¹

(U. P. Act No. XIII of 1948)

[Passed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 6, 1948 and by the Uttar Pradesh Legislative on March 20, 1948.

Received the assent of the Governor General on March 6, 1948, under section 76 of the Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order, 1947, and was published in the United Provinces Gazette Extraordinary dated April 1, 1948.]

An

Аст

To continue certain expiring laws promulgated by His Excellency the Governor of the United Provinces by virtue of section 93 of the Government of India Act, 1935.

Whereas the Acts mentioned in the schedule (hereinafter called "Principal Act") were promulgated by his Excellency the Governor of the United Provinces by virtue of the Proclamation, under section 93 of the Government of India Act, 1935, dated November 3, 1939, as amended from time to time;

And whereas the Principal Acts are, in so far as they are in force and are temporary in their duration, limited to expire on March 31, 1948;

And whereas the Principal Acts are, in so far as they are in force and are temporary in their duration, limited to expire on March 31, 1948;

It is hereby enacted as follows:

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the United Provinces Expiring Laws Continuance Act, 1948.

Continuance in force of Acts mentioned in the schedule

- **2.** (1) The Principal Acts mentioned in column 1 of the schedule shall, subject to the modification and to the extent specified in column 2, be permanent Acts.
- (2) Any unrepeated enactments which are temporary in their duration shall in so far as they amend or affect the Principal Act continued by the foregoing provision of this Act, be continued in like manner whether they are mentioned in the schedule or not.

¹ For Statement of Objects and Reasons, see Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary, dated February 19, 1948.

सन् 1948 ई० का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टो को जारी रखने का ऐक्ट¹

[संयुक्त प्रान्त का ऐक्ट नं० 13, 1948 ई0]

[संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल ने क्रमशः 6 मार्च तथा 20 मार्च, 1948 ई, को स्वीकृत किया ।

भारतीय (अस्थायी विधान) आदेश, 1947 ई0 द्वारा नियमानुकूल बनाये हुये भारत—शासन—विधान, 1935 ई0 की धारा 76 के अधीन गवर्नर जनरल ने 30 मार्च, 1948 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और वह सरकारी संयुक्त प्रान्तीय, असाधारण गजट में 1 अप्रैल, 1948 ई0 को प्रकाशित हुआ ।

गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट, 1935 ई० की धारा 93 के अधीन परममान्य गवर्नर महोदय, संयुक्त प्रान्त ने जिन ऐक्टों को लागू किया था, उनमें से कुछ की अवधि बढ़ाने के लिए,

एक ऐक्ट

क्योंकि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ऐक्ट, 1935 ईं0 की धारा 93 के अधीन ता0 3 नवम्बर, 1939 ईं0 को एक घोषणा जारी की गयी थी जिसमें समय—समय पर संशोधन भी हुये थे और क्योंकि उसके अनुसार परममान्य गवर्नर महोदय, संयुक्त प्रांत ने परिशिष्ट (शेंड्यूल) में लिखे हुए ऐक्ट, (जिनको वाद में मूल ऐक्ट कहा गया है) जारी किये थे ;

और क्योंकि मूल ऐक्ट जिनकीं अवधि अस्थाई है, 31 मार्च, 1948 ई0 को जहां तक वह लागू हैं समाप्त हो जायेंगे ;

और क्योंकि यह उचित और आवश्यक है कि इस ऐक्ट में वर्णित मूल ऐक्टों का और ऐसे ऐक्टों को जिनके द्वारा उपर्युक्त ऐक्टों का संशोधन हुआ है और जिनका उन पर प्रभाब पड़ता है, जारी रखने की व्यवस्था की जाये;

इसलिए नीचे लिखा हुआ ऐक्ट बनाया जाता है :---

1-इस ऐक्ट का नाम, 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टों को जारी रखने का ऐक्ट होगा ।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

2–(1) वे मूल ऐक्ट, जिनका वर्णन परिशिष्ट के स्तम्भ 1 में किया गया है उन संशोधन के साथ और उन सीमाओं तक जिनका ब्योरा स्तम्भ 2 में दिया गया है, स्थायी ऐक्ट होंगे ।

परिशिष्ट (शेड्यूल) में वर्णित ऐक्टों का जारी रहना

(2) ऐसे ऐक्ट जो किसी अस्थाई अवधि के लिये लागू किये गये हो, और जो अभी तक रद्द न हुए हों, जहां तक वे मूल ऐक्टों का संशोधन करते हैं या जहां तक वे उनको प्रभावित करते हों, और जो इस ऐक्ट के उपर्युक्त आदेश द्वारा जारी रक्खे गये हैं, उसी प्रकार जारी रहेंगे चाहे परिशिष्ट में उनका वर्णन हो अथवा न हो ।

¹ उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए दिनांक 19 फरवरी, 1948 का उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

[सन् 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टों को जारी रखने का ऐक्ट]

SCHEDULE

[See section 2]

Short title	How far continued and the amendments thereto		
1	2		
194			
The United Provinces Encumbered Es (U. P. Act II of 1940)	The Whole Act		
The U. P. Power Alcohol (Amendment)	Act, 1940 (U. P. Act X of 1940)	The Whole Act	
The U. P. Legislative Members Remo (U. P. Act VII of 1940)	oval of Disqualification Act, 1940	The Whole Act	
The U. P. Sugar Factories Control (Ar of 1940).	mendment) Act, 1940 (U. P. Act XI	The Whole except section 13, sub-section (1) of section 16	
The U. P. Special Powers (Amendm 1940).	ent) Act, 1940 (U. P. Act XII of	The Whole Act	
The U. P. Debt Redemption Act, 1940	(U. P. Act XIII of 1940).	The Whole Act as amended by the U. P. Debt Redemption (Amendment) Act, 1941 (U.P. Act VI of 1941) and the U. P. Debt Redemption (Amend-ment) Act, 1942 (U.P. Act VI of 1942)	
The U. P. Regulation of Agricultural 1940).	Credit Act, 1940 (U. P. Act XIV of	The whole Act	
1941			
The U. P. Excise (Amendment) Act, 1941 (U. P. Act III of 1941).		The Whole Act	
The U. P. Shri Badrinath Temple (Amendment) Act, 1941 (U. P. Act IV		The Whole Act	

of 1941).

अनुसूची / परिषिश्ट (धारा—2 देखें)

संक्षिप्त नाम

कहाँ तक जारी एवं संशोधित

1940

द् यूनाइटेड प्रोविसेंज इनकम्बेयर्ड एस्टेट (एमेण्डमेण्ट) एक्ट 1940 (यू०पी० एक्ट नं० 2 सन् 1940 ई०)

सम्पूर्ण एक्ट

द् यूनाइटेड प्रोविसेंज पावर एल्कोहल (एमेण्डमेण्ट) एक्ट १९४० (यू०पी० एक्ट नं० १०

सम्पूर्ण एक्ट

सन् 1940 ई0)

द् यूनाइटेड प्रोविसेंज लेजिसलेटिव मेम्बर्स रिमूवल आफ डिस्क्वालीफकेशन एक्ट 1940 (यू०पी० एक्ट नं० 10 सन् 1940 ई०) सम्पूर्ण एक्ट

यूनाइटेड प्रोविसेंज शुगर फैक्टरीज कण्ट्रोल (एमेण्डमेण्ट) एक्ट 1940 (यू०पी० एक्ट नं०

सम्पूर्ण एक्ट

11 सन् 1940 ई0)

यूनाइटेड प्रोविसेंज डेब्ट रिडम्पशन एक्ट 1940 (यू०पी० एक्ट नं० 13, सन् 1940 ई०)

यथा संशोधित
यू०पी० डेब्ट
रिडम्पशन एक्ट
(एमेण्डमेण्ट) एक्ट,
1941 (U.P. Act VI
of 1941) तथा
यू०पी० डेब्ट
रिडम्पशन
(एमेण्डमेण्ट) एक्ट,
1942 (U.P. Act VI
of 1941)

यूनाइटेड प्रोविसेंज रेगुनेशन आफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट 1940 (यू०पी० एक्ट नं० 14, सम्पूर्ण एक्ट सन् 1940 ई०)

1941

यूनाइटेड प्रोविसेंज एक्साईज (एमेण्डमेण्ट्) एक्ट, 1941 (यू०पी० एक्ट नं० ३,

सम्पूर्ण एक्ट

सन् 1941 ई0)

यूनाइटेड प्रोविसेंज श्री बद्रीनाथ टैम्पल (एमेण्डमेण्ट) एक्ट 1941 (यू०पी० एक्ट नं० ४, सम्पूर्ण एक्ट सन् 1941 ई०)

[सन् 1948 ई0 का संयुक्त प्रान्त के समाप्त होने वाले ऐक्टों को जारी रखने का ऐक्ट]

The U. P. Intermediate Education (Amendment) Act, 1941 (U. P. Act II The Whole Act of 1941)

The U. P. Muslim Waqfs (Validating and Amendment) Act, 1941 (U. P. **The Whole Act** Act VIII of 1941)

The U. P. Land Revenue (Amendment) Act, 1941 (U. P. Act XI of 1941) The Whole Act

The U. P. Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1941 (U. P. Act X The Whole Act of 1941).

The U. P. Excise (Supplementary Amendment) Act, 1941 (U. P. Act XIII **The Whole Act** of 1941).

The N. W. P. Villages and Road Police (Amendment) Act, 1941 (U. P. Act **The Whole Act** XIV of 1941).

The Cotton Ginning and Pressing Factories (U. P. Amendment) Act, **The whole Act** 1941 (U. P. Act XV of 1941).

1942

The U. P. District Boards (Amendment) Act, 1942 (U. P. Act I of 1942). The Whole Act

The Naik Girls' Protection (Amendment) Act, 1942 (U. P. Act II of 1942). The Whole Act

The U. P. Goondas (Amendment) Act, 1942 (U. P. Act IV of 1942). The Whole Act

The Whole Act except the words "or for the duration of the present war whichever is less" occurring in the schedule

The U. P. Special Armed Constabulary Act, 1942 (U. P. Act V of 1942).

The Cinematograph (U. P. Amendment) Act, 1942 (U. P. Act VII of 1942).

The Whole Act

[The United Provinces Expiring Laws Continuance Act, 1948]

दि यू० पी० इन्टरमीडियेट एजूकेशन (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 5, सम्पूर्ण ऐक्ट सन् 1941 ई०)।

दि यू० पी० मुस्लिम वक्फस् (वैलिडेंटिगं ऐन्ड एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० सम्पूर्ण ऐक्ट ऐक्ट नं० 8, सन् 1941 ई०)।

दि यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 11, सम्पूर्ण ऐक्ट सन् 1941 ई०)।

दि यू० पी० मोटर विहकिल्स टैक्सेशन (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० सम्पूर्ण ऐक्ट 10, सन् 1941 ई०)।

दि यू० पी० एक्साइज (सप्लिमेंन्टरी एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 13, सम्पूर्ण ऐक्ट सन् 1941 ई०) ।

दि एन0 डब्ल्यू० पी० विलेजेज ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 14, सम्पूर्ण ऐक्ट सन् 1941 ई०)।

दि काटन जिनिंग ऐन्ड प्रेसिंग फैक्टरीज (यू० पी० एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1941 ई० (यू० पी० **सम्पूर्ण ऐक्ट** ऐक्ट नं० 15, सन् 1941 ई०) ।

सन् 1942 ई0

दि यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 1, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1942 ई०)।

दि नायक गर्ल्स प्रोटेक्शन (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई0 (यू० पी० ऐक्ट नं० 2, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1942 ई0)।

दि यू० पी० गूण्डाज (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 4, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1942 ई०)।

दि यू० पी० स्पेशल आर्म्ड काम्स्टेबलरी ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 5, सन् **(शेंड्यूल) में दिये** 1942 ई०)। **हुये यह शब्द**

दि सिनेमैटीग्राफ (यू० पी० एमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० ७, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1942 ई०)।

The Whole Act

The U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1942 (U. P. Act VIII of 1942).	except the clause (b) and (c) of section 2 and section 4
The U. P. Hindu Women's Rights to Property (Extension to Agricultural Land) Act, 1942 (U. P. Act XI of 1942).	The Whole Act
The U. P. Municipalities (Second Amendment) Act, 1942 (U. P. Act XIII of 1942).	The Whole Act
The U. P. Shri Badri Nath Temple (Amendment) Act, 1942 (U. P. Act XV of 1942)	The Whole Act
The U. P. District Boards (Third Amendment) Act, 1942 (U. P. Act XVI of 1942)	The Whole Act
The U. P. Municipalities (Third Amendment) Act, 1942 (U. P. Act XVII of 1942)	The Whole Act

1943

The U. P. District Boards (Amendment) Act, 1943 (U. P. Act II of 1943). The Whole Act

The U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1943 (U. P. Act XI of The Whole Act 1943).

The U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1943 (U. P. Act XI of 1943). The whole Act

The U. P. Sugar Factories Control (Amendment) Act, 1943 (U. P. Act XII The whole Act of 1943).

1944

The Co-operative Societies (U. P. Amendment) Act, 1944 (U. P. Act I of **The Whole Act** 1944).

[The United Provinces Expiring Laws Continuance Act, 1948]

दि यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज (एमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई0 (यू0 पी0 ऐक्ट नं0 8, सन् except the 1942 ई0)।

The Whole Act except the clause (b) and (c) of section 2 and section 4

दि यू० पी० हिन्दू वीमेन्स राइट्स टु प्रापर्टी (एक्सटेन्शन टु ऐग्रीकल्चर लैन्ड) ऐक्ट, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1942 ई० (ऐक्ट नं० 11, सन् 1942 ई०)।

दि यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज (सेकेन्ड एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट **सम्पूर्ण ऐक्ट** सम्पूर्ण ऐक्ट 13, आफ 1942 ई०)।

दि यू० पी० श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट 15, आफ सम्पूर्ण ऐक्ट 1942 ई०)।

दि यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (थर्ड एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट 16, सम्पूर्ण ऐक्ट आफ 1942 ई०)।

दि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (थर्ड एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1942 ई० (यू० पी० ऐक्ट 17, सम्पूर्ण ऐक्ट आफ 1942 ई०)।

सन् 1943 ई0

दि यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० २, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1943 ई०)।

दि यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 10, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1943 ई०)।

दि यू० पी० म्यूनिसिपैलिटीज (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 11, सन् सम्पूर्ण ऐक्ट 1943 ई०)।

दि यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1943 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० सम्पूर्ण ऐक्ट 12, सन् 1943 ई०)।

सन् 1944 ई0

दि कोआपरेटिव सोसाइटीज (यू० पी० एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1944 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० सम्पूर्ण ऐक्ट 1, सन् 1944 ई०)। The Police (U. P. Amendment) Act, 1944 (U. P. Act II of 1944).

The U. P. Fire Services Act, 1944 (U. P. Act III of 1944).

The U. P. Town Improvement (Amendment) Act, 1944 (U. P. Act VI of **The Whole Act** 1944).

1945

The U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1945 (U. P. Act I of 1945). The Whole Act

The U. P. Sugar Factories Control (Amendment) Act, 1945 (U. P. Act III The Whole Act of 1945).

The U. P. Badri Nath (Sanitation and Improvement) Act, 1945 (U. P. Act V of 1945).

The Whole Act
The Whole Act
as amended by
the Kanpur
Urban Area
Development
Board
(Amendment of
Constitution)
(Act II of Act,
1948)

The Whole Act

The Kanpur Urban Area Development Act, 1945 (U. P. Act VI of 1945).

The U. P. Roadside Land Control Act, 1945 (U. P. Act X of 1945). The Whole Act

1946

The Lucknow University (Amendment) Act, 1946 (U. P. Act I of 1946). The Whole Act

The Agra University (Amendment) Act, 1946 (U. P. Act II of 1946). The Whole Act

The U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1946 (U. P. Act IV of **The whole Act** 1946).

The Agra University (Second Amendment) Act, 1946 (U. P. Act V of **The whole Act** 1946).

[The United Provinces Expiring Laws Continuance Act, 1948]

दि पुलिस (यू० पी० एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1944 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 2, आफ 1944 ई०)। सम्पूर्ण ऐक्ट

दि यू0 पी0 फायर सर्विसेज ऐक्ट, सन् 1944 ई0 (यू0 पी0 ऐक्ट नं0 3, आफ 1944 ई0)। सम्पूर्ण ऐक्ट दि यू0 पी0 टाउन इम्प्रुवमेन्ट (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1944 ई0 (यू0 पी0 ऐक्ट नं0 6, आफ सम्पूर्ण ऐक्ट 1944 ई0)।

सन् 1945 ई0

दि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 1, आफ सम्पूर्ण ऐक्ट 1945 ई०)।

दि यू० पी० शुगर फैक्टरीज कन्ट्रोल (एमेंन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० ३, सम्पूर्ण ऐक्ट आफ 1945 ई०)।

दि यू० पी० बद्रीनाथ (सैनिटेशन ऐन्ड इम्प्रुवमेंट) ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 5, सम्पूर्ण ऐक्ट आफ 1945 ई०)।

दि कानपुर अर्बन एरिया डेवेलपमेंट ऐक्ट, सन् 1945 ई0 (यू० पी० ऐक्ट नं० 6, आफ 1945 ई०)।

सम्पूर्ण ऐक्ट जैसा कि वह कानपुर अर्बन एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (अमेंडमेंट आफ कान्स्टीट्यूशन) ऐक्ट 1948 ई0 (यू० पी० ऐक्ट 2, आफ 1948) द्वारा संशोधित है।

दि यू० पी० रोड साइड लैन्ड कन्ट्रोल ऐक्ट, सन् 1945 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 10, आफ सम्पूर्ण ऐक्ट 1945 ई०)।

सन् 1946 ई0

दि लखनऊ यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 1, सम्पूर्ण ऐक्ट आफ 1946 ई०)।

दि आगरा यूनिवर्सिटी (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 2, सम्पूर्ण ऐक्ट आफ 1946 ई०)।

दि यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स (अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 4, आफ सम्पूर्ण ऐक्ट 1946 ई०)।

दि आगरा यूनिवर्सिटी (सेकेन्ड अमेन्डमेंट) ऐक्ट, सन् 1946 ई० (यू० पी० ऐक्ट नं० 5, आफ सम्पूर्ण ऐक्ट 1946 ई०)।